

पार्सी:- श्री पेमा
किस्म सु.- रा. वा.

बनाम

विपक्षी:- श्री काणा
उ. सं. - 18/2021

15/04/25

पत्रा. पेशा हुई। पक्षीत प्रतिवादीगण उप.। पक्षीत वादी मथ
वादी अनुपास्थित जिन्हे न्यायालय समय पर विधिगत
रूप से कार- कार आवाजे लगवाई गई। उसके
उपान्त भी वादी मथ आधीवक्त। वादी के गैर-हाजिर
रहने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 R.T. का
का अदम हाजिर व अदम परवी मे खारिज किया
जाता है।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
पत्रावली फंसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलद - सलूमबर
- जिला सलूमबर -